

बिहार सरकार
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग (कारा)।

प्रेषक,

रामगति सिंह
उप निदेशक (बजट एवं लेखा),
कारा एवं सुधार सेवाएँ,
बिहार पटना।

सेवा में,

सरकार के अवर सचिव,
वित्त विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 30/3/2017

विषय:- गैर योजना मुख्यशीर्ष-2056 जेल, उप मुख्यशीर्ष-00, लघुशीर्ष-101-जेल, मांग संख्या-22, उपशीर्ष-0006-मुक्त कारागार के अंतर्गत पुनर्विनियोग की स्वीकृति हेतु संसूचन पत्र भेजने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि गैर योजना मुख्यशीर्ष-2056 जेल, उप मुख्यशीर्ष-00, लघुशीर्ष-101-जेल, मांग संख्या-22, उपशीर्ष-0006-मुक्त कारागार के अंतर्गत पुनर्विनियोग की स्वीकृति विभागीय पत्रांक-1493 दिनांक-30.03.2017 द्वारा दी गयी है। महालेखाकार को संसूचन हेतु निम्नलिखित कागजात संलग्न की जाती है:-

- i. पत्रांक-1493 दिनांक-30.03.2017 दो मूल प्रतियों में।
- ii. पुनर्विनियोग संबंधी अनुसूची 53, प्रपत्र 212 दो अभिप्रमाणित छायाप्रति।
- iii. पुनर्विनियोग संबंधी वित्त विभाग सहमति संबंधी टिप्पणी पृष्ठ दो अभिप्रमाणित छायाप्रति।
- iv. संसूचन संबंधी जाँच पत्र मूल एक प्रति।

अतः अनुरोध है कि पुनर्विनियोग की स्वीकृति हेतु संसूचन पत्र महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजने का कष्ट किया जाय।

अनुलग्नक:- यथावर्णित 7 (सात) पन्ना।

विश्वासभाजन

244
30/3/17
उप निदेशक (बजट एवं लेखा),
कारा एवं सुधार सेवाएँ,
बिहार, पटना।